।।श्री।।

न्यायालय – माननिय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक – / निगरानी R. 2342-I/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री... द्वारा प्रस्तुत 14-7-2014 दिनांक...
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

438
14/7/2014

कालुसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपुत

निवासी ग्राम सोहड़ तह. बड़नगर जिला उज्जैन

––––आवेदक

विरूद्ध

संजय कुमार पिता रामसिंह ब्राहम्ण

निवासी ग्राम सोहड़ तह. बड़नगर जिला उज्जैन

–––अनावेदक

न्यायालय तहसील बड़नगर द्वारा प्रकरण कम्रांक 142 अ 12/2011–12 मे सीमांकन रिपोर्ट के विपरित व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित करने से संतुष्ट होकर भु.रा.सं. 1959 कि धारा 50 के अंतर्गत पुनरिक्षण याचिका ।

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

मान्यवर महोदय ,

आवेदक कि ओर से निम्नलिखित आधारो पर अपील पेश है –

01 यह कि आवेदक व अनावेदक कि भुमि पास पास लगी हुई है। आवेदक ने यह भुमि अनावेदक के पिता से ही कय कि थी। व अनावेदक के पिता द्वारा तत्कालिन गिरदावर पटवारी से सीमांकन कराकर कब्जा दिया था। तब से आवेदक अपनी भुमि पर काबिज होकर खेती कर रही थी। अनावेदक के पिता द्वारा आवेदक को जमीन बेचने के बाद उनके पास बची जमीनो को रिस्पांडेट व उसके भाईयो ने आपस मे बांट ली और अपने अपने नाम करा ली जिसमे भुमि सर्वे नं 181 रकबा 1.85 अनावेदक के हिस्से मे आया। रिस्पांडेट व उसका परिवार भारतीय जनता पार्टी के नेता है और आवेदक कि भुमि हड़प करने कि निती से सीमांकन का आदेश पेश कर सीमांकन कराया है। इस पर से दिनांक 05.07.2012 को राजस्व निरिक्षक व पटवारी द्वारा मोके पर सीमांकन कि कार्यवाही कि गयी जिसमे आवेदक द्वारा आपत्ति कि गयी लेकिन इस पर राजस्व निरिक्षक ने मौके पंचनामे मे उल्लेख करते हुए यह लिखा कि आवेदक 01 वर्ष मे अपनी भुमि का सीमांकन करावेगा और उसके बाद ही अनावेदक कब्जे एंसबंधी कार्यवाही करेगा। इस प्रकार एक वर्ष कि अवधि पुर्ण हुए बगैर व आवेदक द्वारा सीमांकन कराये बगैर प्रकरण का निराकरण संभव नही था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कथित सीमांकन रिपोर्ट 05.07.2012 को अंतिम मानकर प्रकरण का निराकरण करने मे त्रुटि कि है। इस कारण आवेदक को यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

निरंतर.........02 पर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2342-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	